

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या—12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या—01 वर्ष 2018), कार्मिक अनुमान—2 के शासनादेश संख्या 30/XXX-2)18/30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या—140/XXX(2) 18/30(13) 2018 दिनांक 25 मई, 2018 में निहित प्राविधिकों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट स०क०३०, वर्ग—२ (विकास शाखा)	मुख्य कृषि अधिकारी अल्मोड़ा	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी बागेश्वर	जनहित

श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग—२ को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री बिष्ट का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डाल्पक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

मुख्य कृषि अधिकारी बागेश्वर सिंगल विण्डों व्यवस्था के तहत सम्बन्धित कार्मिक को अपने स्तर से कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी बागेश्वर के अधीन योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

२०।—

(डा० अजय कुमार वर्मा)

उप कृषि निदेशक,

(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड

देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड

देहरादून।

पत्रांक:- क०नि०/ 1683 /स्था०अनु०-१/ वर्ग-२/ स्थानान्तरण/ 2018-19/ दिनांक 10/06/18
प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट, वर्ग-२ द्वारा मुख्य कृषि अधिकारी अल्मोड़ा।
- 2— मुख्य कृषि अधिकारी अल्मोड़ा को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री बिष्ट को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3— सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 4— मुख्य कृषि अधिकारी बागेश्वर।
- 5— संयुक्त कृषि निदेशक, कुमौरौ मण्डल हल्द्वानी।
- 6— गार्ड पत्रावली।

उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018), कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 30/XXX-2) 18/30(13) 2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-140/XXX(2) 18/30(13) 2018 दिनांक 25 मई, 2018 में निहित प्राविधिकों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री सत्यप्रकाश सिंह स०क०३०,वर्ग-२ (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी धारी	मुख्य कृषि अधिकारी पिथौरागढ़	जनहित

श्री सत्यप्रकाश सिंह, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री सिंह का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

मुख्य कृषि अधिकारी पिथौरागढ़ सिंगल विण्डों व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद की आवश्यकता एवं उपलब्धानुसार अपने स्तर से इकाई/कार्यालय में तैनाती करना सुनिश्चित करें।

—

(डा० अजय कुमार वर्मा)

उप कृषि निदेशक,

(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड

देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- क०नि०/ 1684 /स्था०अनु०-१/वर्ग-२/स्थानान्तरण/2018-19/दिनांक 10/06/18

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— श्री सत्यप्रकाश सिंह, वर्ग-2 द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी धारी।
- 2— कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी धारी को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री सिंह को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3— सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 4— मुख्य कृषि अधिकारी नैनीताल/पिथौरागढ़
- 5— संयुक्त कृषि निदेशक, कुमौर मण्डल हल्दानी।
- 6— गार्ड पत्रावली।

१०

उप कृषि निदेशक,

(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड

देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018), कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 30/XXX-2)18/30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-140/XXX(2) 18/30(13) 2018 दिनांक 25 मई, 2018 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री संजय श्रीवास्तव स०क०३०.वर्ग-२ (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कोटद्वार	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी सतपुली	जनहित

श्री संजय श्रीवास्तव, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-२ को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री श्रीवास्तव का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

मुख्य कृषि अधिकारी पौड़ी सिंगल विण्डों व्यवस्था के तहत सम्बन्धित कार्मिक को अपने स्तर से कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी सतपुली के अधीन योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

हां-

(डॉ अजय कुमार वर्मा)

उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 1685 /स्था०अनु०-१/वर्ग-२/स्थानान्तरण/2018-19/दिनांक 10/06/18

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री संजय श्रीवास्तव, वर्ग-२ द्वारा मुख्य कृषि अधिकारी कोटद्वार
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कोटद्वार को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री श्रीवास्तव को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 4- मुख्य कृषि अधिकारी पौड़ी
- 5- अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 6- गार्ड पत्रावली।

१०

उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या—12 / XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या—01 वर्ष 2018), कार्मिक अनुभाग—2 के शासनादेश संख्या 30 / XXX-2) 18/30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या—140 / XXX(2) 18/30(13) 2018 दिनांक 25 मई, 2018 में निहित प्राविधिकों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री चन्द्रपाल सिंह स०क०३०, वर्ग—२ (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी हल्द्वानी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी भिकियासैण	जनहित

श्री चन्द्रपाल सिंह, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग—२ को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री सिंह का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

मुख्य कृषि अधिकारी अल्मोड़ा सिंगल विण्डों व्यवस्था के तहत सम्बन्धित कार्मिक को अपने स्तर से कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी भिकियासैण के अधीन योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

हं०।-

(डा० अजय कुमार वर्मा)

उप कृषि निदेशक,

(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड

देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- क०नि० / 1686 / स्था०अनु०-१ / वर्ग-२ / स्थानान्तरण / 2018-19 / दिनांक 10/06/18

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— श्री चन्द्रपाल सिंह, वर्ग—२ द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी हल्द्वानी।
- 2— कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री सिंह को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक साताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3— सम्बन्धित मुख्य / वरिष्ठ / कोषाधिकारी।
- 4— मुख्य कृषि अधिकारी नैनीताल / अल्मोड़ा।
- 5— संयुक्त कृषि निदेशक, कुमौऊ मण्डल हल्द्वानी।
- 6— गार्ड पत्रावली।

०
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12 / XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018), कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 30 /XXX-2)18/30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-140 /XXX(2) 18/30(13) 2018 दिनांक 25 मई, 2018 में निहित प्राविधिकों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की 18/30(13) 2018 दिनांक 05.06.2018 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के समुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री जयवीर सिंह स०कृ०अ०,वर्ग-2 (विकास शाखा)	मुख्य कृषि अधिकारी नैनीताल	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी लोहाघाट	जनहित

श्री जयवीर सिंह, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री सिंह का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव ड़लवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

मुख्य कृषि अधिकारी चम्पावत सिंगल विण्डों व्यवस्था के तहत सम्बन्धित कार्मिक को अपने स्तर से कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी लोहाघाट के अधीन योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

हृ०—

(डा० अजय कुमार वर्मा)

उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 1687 /स्था०अनु०-1/वर्ग-2/स्थानान्तरण/2018-19/दिनांक 10/06/18

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री जयवीर सिंह, वर्ग-2 द्वारा मुख्य कृषि अधिकारी नैनीताल।
- 2- मुख्य कृषि अधिकारी नैनीताल को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री सिंह को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 4- मुख्य कृषि अधिकारी नैनीताल/चम्पावत।
- 5- संयुक्त कृषि निदेशक, कुमौऊ मण्डल हल्द्वानी।
- 6- गार्ड पत्रावली।

○
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018), कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 30/XXX-2)18/30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-140/XXX(2) 18/30(13) 2018 दिनांक 25 मई, 2018 में निहित प्राविधिकों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री केवलानन्द जोशी स०क०अ०,वर्ग-2 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी भीमताल	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी लोहाघाट	जनहित

श्री केवलानन्द जोशी, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री जोशी का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

मुख्य कृषि अधिकारी चम्पावत सिंगल विण्डों व्यवस्था के तहत् सम्बन्धित कार्मिक को अपने स्तर से कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी लोहाघाट के अधीन योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।


 (डॉ अजय कुमार वर्मा)
 उप कृषि निदेशक,
 (मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
 कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
 देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- क०नि०/ 1688 /स्था०अनु०-१/वर्ग-२/स्थानान्तरण/2018-19/दिनांक 10/06/18
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री केवलानन्द जोशी, वर्ग-2 द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी भीमताल।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी भीमताल को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री जोशी को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 4- मुख्य कृषि अधिकारी नैनीताल/चम्पावत।
- 5- संयुक्त कृषि निदेशक, कुमौर मण्डल हल्द्वानी।
- 6- गार्ड पत्रावली।


 उप कृषि निदेशक,
 (मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
 कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
 देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 06 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018), कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 30/XXX-2) 18/30(13) 2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-140/XXX(2) 18/30(13) 2018 दिनांक 25 मई, 2018 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री गुलजार अली स०क०अ०, वर्ग-2 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुडकी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी उत्तरकाशी	जनहित

श्री गुलजार अली, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री गुलजार अली का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हे नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

मुख्य कृषि अधिकारी उत्तरकाशी सिंगल विण्डों व्यवस्था के तहत सम्बंधित कार्मिक को अपने स्तर से कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी उत्तरकाशी के अधीन योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

(जा० अजय कुमार वर्मा)

उप कृषि निदेशक,

(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड

देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- क०नि०/ 1689 /स्था०अनु०-१/वर्ग-२/स्थानान्तरण/2018-19/दिनांक 10/06/18

प्रतिलिपि— निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— श्री गुलजार अली, वर्ग-2 द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुडकी।
- 2— कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुडकी को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री गुलजार अली को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3— सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 4— मुख्य कृषि अधिकारी डिरिक्टर/उत्तरकाशी।
- 5— अपर कृषि निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 6— गार्ड पत्रावली।

उप कृषि निदेशक,

(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड

देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या—12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या—01 वर्ष 2018), कार्मिक अनुभाग—2 के शासनादेश संख्या 30/XXX-2)18/30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या—140/XXX(2) 18/30(13) 2018 दिनांक 25 मई, 2018 में निहित प्राविधियों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री ओमप्रकाश बैंजवाल स०क०अ०वर्ग-2 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी सहसपुर	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी मोरी	जनहित

श्री ओमप्रकाश बैंजवाल, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री बैंजवाल का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव छलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

मुख्य कृषि अधिकारी उत्तरकाशी सिंगल विण्डो व्यवस्था के तहत सम्बन्धित कार्मिक को अपने स्तर से कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी मोरी के अधीन योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

हृति—

(डा० अजय कुमार वर्मा)

उप कृषि निदेशक,

(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड

देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक— क०नि०/ 1690 /स्था०अनु०—१/वर्ग—२/स्थानान्तरण/2018—19/दिनांक 10/06/18

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— श्री ओमप्रकाश बैंजवाल, वर्ग—2 द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी सहसपुर।
- 2— कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी सहसपुर को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री बैंजवाल को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3— सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 4— मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून/उत्तरकाशी।
- 5— अपर कृषि निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 6— गार्ड पत्रावली।


उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018), कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 30 /XXX-2)18/30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-140 /XXX(2) 18/30(13) 2018 दिनांक 25 मई, 2018 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री भुवनेन्द्र खन्तवाल स०क०अ०, वर्ग-२ (विकास शाखा)	मुख्य कृषि अधिकारी नरेन्द्रनगर	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कौरिंगनगर	जनहित

श्री भुवनेन्द्र खन्तवाल, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-२ को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री खन्तवाल का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

मुख्य कृषि अधिकारी नरेन्द्रनगर, ठिहरी गढ़वाल सिंगल विण्डों व्यवस्था के तहत सम्बिधित कार्मिक को अपने स्तर से कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कौरिंगनगर के अधीन योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

टैक्ट

(डॉ अजय कुमार वर्मा)

उप कृषि निदेशक,

(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड

देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- क०नि०/ 1691 /स्था०अनु०-१/वर्ग-२/स्थानान्तरण/2018-19/दिनांक 10/06/18

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— श्री भुवनेन्द्र प्रसाद खन्तवाल, वर्ग-२ द्वारा मुख्य कृषि अधिकारी नरेन्द्रनगर।
- 2— मुख्य कृषि अधिकारी नरेन्द्रनगर को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री खन्तवाल को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कायमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3— सम्बिधित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 4— अपर कृषि निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 5— गार्ड पत्रावली।

०

उप कृषि निदेशक,

(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड

देहरादून।


आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या—12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या—01 वर्ष 2018), कार्मिक अनुभाग—2 के शासनादेश संख्या 30/XXX-2)18/30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या—140/XXX(2) 18/30(13) 2018 दिनांक 25 मई, 2018 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री राजवीर सिंह स०क०अ०, वर्ग—2 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुडकी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी थराली	जनहित

श्री राजवीर सिंह, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग—2 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री सिंह का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

मुख्य कृषि अधिकारी चमोली सिंगल विण्डों व्यवस्था के तहत सम्बन्धित कार्मिक को अपने स्तर से कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी थराली के अधीन योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।


 (शा० अजय कुमार वर्मा)
 उप कृषि निदेशक,
 (मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
 कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
 देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- क०नि०/ 1692 /स्था०अनु०—१/वर्ग—२/स्थानान्तरण/2018—19/दिनांक 10-06-18

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— श्री राजवीर सिंह, वर्ग—2 द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुडकी।
- 2— कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुडकी को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री सिंह को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3— सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 4— मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार/चमोली।
- 5— अपर कृषि निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 6— गार्ड पत्रावली।


 उप कृषि निदेशक,
 (मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
 कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
 देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 06 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018), कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 30/XXX-2) 18/30(13) 2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-140/XXX(2) 18/30(13) 2018 दिनांक 25 मई, 2018 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री नित्यानन्द तिवारी स०क०अ०, वर्ग-2 (विकास शाखा)	सहायक निदेशक, स०क०परी०एवं प्रद०क००हल्द्वानी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी लोहाघाट	जनहित

श्री नित्यानन्द तिवारी, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री तिवारी का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

मुख्य कृषि अधिकारी चम्पावत सिंगल विण्डो व्यवस्था के तहत सम्बन्धित कार्मिक को अपने स्तर से कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी लोहाघाट के अधीन योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

टॉ-

(आ० अजय कुमार वर्मा)

उप कृषि निदेशक,

(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड

देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड

देहरादून।

पत्रांक:- क०नि०/ 1693 /स्था०अनु०-1/वर्ग-2/स्थानान्तरण/2018-19/दिनांक 10-06-18

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आपश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री नित्यानन्द तिवारी, वर्ग-2 द्वारा सहायक निदेशक, सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र हल्द्वानी।
- 2- सहायक निदेशक, सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियम के अनुसार श्री तिवारी को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये विना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 4- मुख्य कृषि अधिकारी चम्पावत।
- 5- संयुक्त कृषि निदेशक, कुर्माऊँ घण्टल हल्द्वानी।
- 6- गार्ड पत्रावली।

१०

उप कृषि निदेशक,

(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड

देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018), कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 30 /XXX-2)18/30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-140 /XXX(2) 18/30(13) 2018 दिनांक 25 मई, 2018 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री जयवीर सिंह स०क०अ०, वर्ग-2 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी गोपेश्वर	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुद्रप्रयाग	जनहित

श्री जयवीर सिंह, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री सिंह का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

मुख्य कृषि अधिकारी रुद्रप्रयाग सिंगल विण्डो व्यवस्था के तहत सम्बन्धित कार्मिक को अपने स्तर से कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुद्रप्रयाग के अधीन योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

हृषि—

(डा० अजय कुमार वसी)

उप कृषि निदेशक,

(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड

देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- क०नि०/ 1694 /स्था०अनु०-1/वर्ग-2/स्थानान्तरण/2018-19/दिनांक

प्रतिलिपि— निम्नानुकूल की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— श्री जयवीर सिंह, वर्ग-2 द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी गोपेश्वर।
- 2— कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी गोपेश्वर को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री सिंह को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3— सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 4— मुख्य कृषि अधिकारी रुद्रप्रयाग/चमोली।
- 5— अपर कृषि निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 6— गार्ड पत्रावली।

१०
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12 / XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018), कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 30 / XXX-2)18/30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-140 / XXX(2) 18/30(13) 2018 दिनांक 25 मई, 2018 में निहित प्राविधिकों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री जितेन्द्र कुमार स०क००३०, वर्ग-2 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी धूमाकोट	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी काशीपुर	जनहित

श्री जितेन्द्र कुमार, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री कुमार का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

मुख्य कृषि अधिकारी उधमसिंहनगर सिंगल विण्डों व्यवस्था के तहत सम्बन्धित कार्मिक को अपने स्तर से कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी काशीपुर के अधीन योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

कृषि-
(डॉ अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- क०नि०/ 1695 / स्था०अनु०-१/ वर्ग-२/ स्थानान्तरण/ 2018-19/ दिनांक 10-06-18
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री जितेन्द्र कुमार, वर्ग-2 द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी धूमाकोट।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी धूमाकोट को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री कुमार को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित मुख्य/ वरिष्ठ/ कोषाधिकारी।
- 4- मुख्य कृषि अधिकारी पौड़ी/ उधमसिंहनगर।
- 5- संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल हल्द्वानी।
- 6- अपर कृषि निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 7- गार्ड पत्रावली।

उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।


आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018), कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 30 / XXX-2) 18/30(13) 2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-140 / XXX(2) 18/30(13) 2018 दिनांक 25 मई, 2018 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री रोहताश सिंह स०क०अ०, वर्ग-2 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी उत्तरकाशी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी बहादराबाद	जनहित

श्री रोहताश सिंह, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री सिंह का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव ड़लवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार सिंगल विष्टों व्यवस्था के तहत सम्बन्धित कार्मिक को अपने स्तर से कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी बहादराबाद के अधीन योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।


 (आजय कुमार वर्मा)
 उप कृषि निदेशक,
 (मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
 कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
 देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- क०नि०/ 1696 /स्था०अनु०-१/वर्ग-२/स्थानान्तरण/2018-19/दिनांक 10-06-18

प्रतिलिपि- निम्नांकित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री रोहताश सिंह, वर्ग-2 द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी उत्तरकाशी।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री सिंह को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 4- मुख्य कृषि अधिकारी उत्तरकाशी/हरिद्वार।
- 5- अपर कृषि निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 6- गार्ड पत्रावली।


 उप कृषि निदेशक,
 (मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
 कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
 देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018), कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 30/XXX-2)18/30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-140/XXX(2) 18/30(13) 2018 दिनांक 25 मई, 2018 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री संजय प्रसाद नौटियाल स०क०अ०वर्ग-२ (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी गोपेश्वर	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कर्णप्रयाग	जनहित

श्री संजय प्रसाद नौटियाल, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार उत्तराखण्ड आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री नौटियाल का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अपल में लायी जायेगी।

मुख्य कृषि अधिकारी चमोली सिंगल विण्डों व्यवस्था के तहत सम्बन्धित कार्मिक को अपने स्तर से कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कर्णप्रयाग के अधीन योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

२८।-

(डा० अजय कुमार वर्मा)

उप कृषि निदेशक,

(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड

देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- क०नि०/ 1697 /स्था०अनु०-१/वर्ग-२/स्थानान्तरण/2018-19/दिनांक 10-06-18

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— श्री संजय प्रसाद नौटियाल, वर्ग-2 द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी गोपेश्वर।
- 2— कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी गोपेश्वर को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री नौटियाल को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3— सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 4— मुख्य कृषि अधिकारी चमोली।
- 5— अपर कृषि निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 6— गार्ड पत्रावली।

१०

उप कृषि निदेशक,

(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड

देहरादून।


आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018), कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 30/XXX-2)18/30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-140/XXX(2) 18/30(13) 2018 दिनांक 25 मई, 2018 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में प्रदल संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री दिनेश प्रसाद जोशी स०क०अ०, वर्ग-2 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुद्रप्रयाग	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रायपुर	जनहित

श्री दिनेश प्रसाद जोशी, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री जोशी का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव ड़लवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून सिंगल विण्डों व्यवस्था के तहत सम्बन्धित कार्मिक को अपने स्तर से कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रायपुर के अधीन योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।


 (ला० अजय कुमार वर्मा)
 उप कृषि निदेशक,
 (मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
 कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
 देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- क०नि०/ 1698 /स्था०अनु०-१/वर्ग-२/स्थानान्तरण/2018-19/दिनांक 10-06-18

प्रतिलिपि- निम्नान्कित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री दिनेश प्रसाद जोशी, वर्ग-2 द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुद्रप्रयाग।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुद्रप्रयाग को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री जोशी को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये विना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 4- मुख्य कृषि अधिकारी रुद्रप्रयाग/देहरादून।
- 5- अपर कृषि निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 6- गार्ड पत्रावली।


 उप कृषि निदेशक,
 (मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
 कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
 देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018), कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 30/XXX-2)18/30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-140/XXX(2) 18/30(13) 2018 दिनांक 25 मई, 2018 में निहित प्राविधिकों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में ग्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री वीरेन्द्र सिंह नेगी स०क०अ०, वर्ग-2 (विकास शाखा)	केन्द्राध्यक्ष, स्थानान्तरण प्रशिक्षण केन्द्र पौड़ी	मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून	जनहित

श्री वीरेन्द्र सिंह नेगी, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री नेगी का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भूता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून सिंगल विण्डों व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद की आवश्यकता एवं उपलब्धतानुसार अपने स्तर से इकाई/कार्यालय में तैनाती करना सुनिश्चित करें।

टृ०—
(जा० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- क०नि०/ 1699 /स्थानान्तरण/2018-19/दिनांक 10-06-18
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री वीरेन्द्र सिंह नेगी, वर्ग-2 द्वारा केन्द्राध्यक्ष राजकीय भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र पौड़ी।
- 2- केन्द्राध्यक्ष राजकीय भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र पौड़ी को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री नेगी को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 4- मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून।
- 5- अपर कृषि निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 6- गार्ड पत्रावली।

उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12 / XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018), कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 30 / XXX-2)18/30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-140 / XXX(2) 18/30(13) 2018 दिनांक 25 मई, 2018 में निहित प्राविधिकारों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री केदार सिंह रावत स०क०अ०, वर्ग-2 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी पौड़ी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी सहसपुर	जनहित

श्री केदार सिंह रावत, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री रावत का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून सिंगल विष्टों व्यवस्था के तहत सम्बन्धित कार्मिक को अपने स्तर से कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी सहसपुर के अधीन योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

(लाठ अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- क०नि०/ 1700 /स्था०अनु०-1/वर्ग-2/स्थानान्तरण/2018-19/दिनांक 10-06-18
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री केदार सिंह रावत, वर्ग-2 द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी पौड़ी।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी पौड़ी को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री रावत को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 4- मुख्य कृषि अधिकारी पौड़ी/देहरादून।
- 5- अपर कृषि निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 6- गार्ड पत्रावली।

उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018), कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 30/XXX-2)18/30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-140/XXX(2) 18/30(13) 2018 दिनांक 25 मई, 2018 में निहित प्राविधिकों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री सुरेश चन्द्र पंत स०क०अ०,वर्ग-2 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कीर्तिनगर	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी पौड़ी	जनहित

श्री सुरेश चन्द्र पंत, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री पंत का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विलम्ब किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

मुख्य कृषि अधिकारी पौड़ी सिंगल विण्डों व्यवस्था के तहत सम्बन्धित कार्मिक को अपने स्तर से कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी पौड़ी के अधीन योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।


 (डा० अजय कुमार वर्मा)
 उप कृषि निदेशक,
 (मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
 कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
 देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- क०नि०/ । ८० /स्था०अन०-१/वर्ग-२/स्थानान्तरण/2018-19/दिनांक । ० - ०६। ८

प्रतिलिपि- निम्नानकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री सुरेश चन्द्र पंत, वर्ग-2 द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कीर्तिनगर।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कीर्तिनगर को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री पंत को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 4- मुख्य कृषि अधिकारी नरन्दनगर, टिहरी गढ़वाल।
- 5- अपर कृषि निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 6- गार्ड पत्रावली।


 उप कृषि निदेशक,
 (मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
 कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
 देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12 / XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018), कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 30 /XXX-2)18/30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-140 /XXX(2) 18/30(13) 2018 दिनांक 25 मई, 2018 में निहित प्राविधिकारों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री धीरज सिंह रावत स०क०३०, वर्ग-२ (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कीर्तिनगर	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी सहसपुर	जनहित

श्री धीरज सिंह रावत, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-२ को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री रावत का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इहें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव ड़लवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून सिंगल विण्डों व्यवस्था के तहत सम्बन्धित कार्मिक को अपने स्तर से कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी सहसपुर के अधीन योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

१०/
(डा० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- क०नि०/ । ८०२ /स्था०अनु०-१/वर्ग-२/स्थानान्तरण/2018-19/दिनांक १०-०६-१८

प्रतिलिपि- निम्नानुकूल का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री धीरज सिंह रावत, वर्ग-२ द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कीर्तिनगर।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कीर्तिनगर को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री रावत को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये विना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित मुख्य कृषि अधिकारी नरेन्द्रनगर/देहरादून।
- 4- मुख्य कृषि अधिकारी नरेन्द्रनगर/देहरादून।
- 5- अपर कृषि निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 6- गार्ड पत्रावली।

१०/
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018), कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 30/XXX-2)18/30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-140/XXX(2) 18/30(13) 2018 दिनांक 25 मई, 2018 में निहित प्राविधिकों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री नित्यानन्द उनियाल स0क०अ0,वर्ग-2 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी चम्बा	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी सहसपुर	जनहित

श्री नित्यानन्द उनियाल, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री उनियाल का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भल्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव ड़लवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून सिंगल विण्डों व्यवस्था के तहत सम्बन्धित कार्मिक को अपने स्तर से कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी सहसपुर के अधीन योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

ED /
(आ० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- क०नि०/ 1703 /स्था०अनु०-1/वर्ग-2/स्थानान्तरण/2018-19/दिनांक 10-06-18

प्रतिलिपि- निम्नानुकूल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री नित्यानन्द उनियाल, वर्ग-2 द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी चम्बा।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी चम्बा को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री उनियाल को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 4- मुख्य कृषि अधिकारी नरेन्द्रनगर/देहरादून।
- 5- अपर कृषि निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 6- गार्ड पत्रावली।

उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018), कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 30/XXX-2)18/30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-140/XXX(2) 18/30(13) 2018 दिनांक 25 मई, 2018 में निहित प्राविधिकों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की 18/30(13) 2018 दिनांक 25 मई, 2018 में निहित प्राविधिकों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के समुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री भरत सिंह सजवाण सं०कृ०अ०, वर्ग-२ (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुद्रप्रयाग	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रायपुर	जनहित

श्री भरत सिंह सजवाण, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री सजवाण का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून सिंगल विएडो व्यवस्था के तहत सम्बन्धित कार्मिक को अपने स्तर से कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रायपुर के अधीन योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

३०/
(डॉ अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/।।७०४ /स्था०अनु०-१/वर्ग-२/स्थानान्तरण/2018-19/दिनांक ।।०-६-१८

प्रतिलिपि- निम्नानुकूल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री भरत सिंह सजवाण, वर्ग-2 द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुद्रप्रयाग।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुद्रप्रयाग को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री सजवाण को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित मुख्य/दरिच्छ/कोषाधिकारी।
- 4- मुख्य कृषि अधिकारी रुद्रप्रयाग/देहरादून।
- 5- अपर कृषि निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 6- गार्ड पत्रावली।

१०/
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या—12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या—01 वर्ष 2018), कार्मिक अनुभाग—2 के शासनादेश संख्या 30/XXX-2)18/30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या—140/XXX(2) 18/30(13) 2018 दिनांक 25 मई, 2018 में निहित प्राविधिकों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध पर किया जाता है।

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री सुभाष चन्द्र यादव सं0क०30,वर्ग—2 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी लोहाघाट	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी भीमताल	निजी अनुरोध

श्री सुभाष चन्द्र यादव, वर्ग—2 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री यादव का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव ड़लवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

मुख्य कृषि अधिकारी नैनीताल सिंगल विष्ठों व्यवस्था के तहत सम्बंधित कार्मिक को अपने स्तर से कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी भीमताल के अधीन योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

३०/-

(डा० अजय कुमार वर्मा)

उप कृषि निदेशक,

(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड

देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड

देहरादून।

पत्रांक:- क०नि०/ १७०५ /स्था०अनु०-१/वर्ग-२/स्थानान्तरण/2018-19/दिनांक 10/06/18

प्रतिलिपि – निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— श्री सुभाष चन्द्र यादव, वर्ग-2 द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, लोहाघाट।
- 2— कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी लोहाघाट को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री यादव को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नये तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3— सम्बंधित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 4— मुख्य कृषि अधिकारी चम्पावत/नैनीताल।
- 5— संयुक्त कृषि निदेशक कुमॉऊ मण्डल हल्द्वानी।
- 6— गार्ड पत्रावली।

०

उप कृषि निदेशक,

(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड

देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12 / XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018), कार्मिक अनुमाग-2 के शासनादेश संख्या 30 /XXX-2)18/30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-140 /XXX(2) 18/30(13) 2018 दिनांक 25 मई, 2018 में निहित प्राविधिकों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री रमेश चन्द्र पाण्डे स०क०अ०वर्ग-2 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी बेरीनाग	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी हल्द्वानी	निजी अनुरोध

श्री रमेश चन्द्र पाण्डे, वर्ग-2 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री पाण्डे का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

मुख्य कृषि अधिकारी नैनीताल सिंगल विण्डो व्यवस्था के तहत सम्बन्धित कार्मिक को अपने स्तर से कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी हल्द्वानी के अधीन योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

१०/१
(डा० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- क०नि०/ 1706 /स्था०अनु०-1/वर्ग-2/स्थानान्तरण/2018-19/दिनांक 10/06/18

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री रमेश चन्द्र पाण्डे, वर्ग-2 द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बेरीनाग।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी बेरीनाग को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री पाण्डे को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित मुख्य वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 4- मुख्य कृषि अधिकारी पिथौरागढ़/नैनीताल।
- 5- संयुक्त कृषि निदेशक कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी।
- 6- गार्ड पत्रावली।

१०/१
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018), कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 30/XXX-2)18/30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-140/XXX(2) 18/30(13) 2018 दिनांक 25 मई, 2018 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री गोपाल सिंह चौहान स०क०३०, वर्ग-2 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी लोहाघाट	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी काशीपुर	निजी अनुरोध

श्री गोपाल सिंह चौहान, वर्ग-2 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री चौहान का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

मुख्य कृषि अधिकारी उधमसिंहनगर सिंगल विष्णो व्यवस्था के तहत सम्बंधित कार्मिक को अपने स्तर से कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी काशीपुर के अधीन योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।


 (डा० अजय कुमार वर्मा)
 उप कृषि निदेशक,
 (मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
 कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
 देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- क०नि०/ १७०८ /स्था०अनु०-१/वर्ग-२/स्थानान्तरण/2018-19/दिनांक 10/06/18

प्रतिलिपि – निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री गोपाल सिंह चौहान, वर्ग-2 द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, लोहाघाट।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी लोहाघाट को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री चौहान को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नय तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बंधित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 4- मुख्य कृषि अधिकारी चम्पावत/उधमसिंहनगर।
- 5- संयुक्त कृषि निदेशक कुमॉऊ मण्डल हल्द्वानी।
- 6- गार्ड पत्रावली।


 उप कृषि निदेशक,
 (मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
 कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
 देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018), कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 30/XXX-2/18/30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-140/XXX(2) 18/30(13) 2018 दिनांक 25 मई, 2018 में निहित प्राविधियों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री नरेन्द्रपाल सिंह स०क०३०,वर्ग-२ (रसायन शाखा)	मुख्य कृषि अधिकारी चम्पावत	सहायक निदेशक, क्षेत्रीय प्रयोगशाला रुद्रपुर	जनहित

श्री नरेन्द्रपाल सिंह, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री सिंह का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

(डा० अजय कुमार वर्मा)

उप कृषि निदेशक,

(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड

देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- क०नि०/ 1708/स्था०अनु०-१/वर्ग-२/स्थानान्तरण/2018-19/दिनांक 10/06/18

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— श्री नरेन्द्रपाल सिंह, वर्ग-2 द्वारा मुख्य कृषि अधिकारी चम्पावत।
- 2— मुख्य कृषि अधिकारी चम्पावत को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री नरेन्द्रपाल सिंह को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सत्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3— सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 4— सहायक निदेशक क्षेत्रीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला रुद्रपुर।
- 5— मुख्य कृषि अधिकारी उधमसिंहनगर।
- 6— संयुक्त कृषि निदेशक, कुमौऊ मण्डल हल्द्वानी।
- 7— गार्ड पत्रावली।

उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।